उत्तर प्रदेश

के

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों

के

कार्मिकों के लिए सामान्य मार्ग निर्देशिका

ग्राम्य विकास अनुभाग-१

उत्तर प्रदेश शासन

१९९४

संख्या : २३५०/३८-१-९४-४ पी /९२

प्रेषक,

श्री के० आर० भाटी,
सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–१, लखनऊ : दिनांक : मार्च, १७, १९९४.

विषय :—उ० प्र० के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत् एवं भविष्य में नियुक्त होने वाले कार्मिकों की भर्ती एवं उसमें नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए सामान्य मार्ग–निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट की धारा १८ के अधीन पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित है जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट होते हैं । प्रत्येक अभिकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी है और उसमें स्वीकृत स्टाफ भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद ३०९ में बनने वाली सेवा नियमावलियों से आच्छादित नहीं होते हैं । ऐसी स्थिति में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में विभिन्न पदों पर कार्मिकों की भर्ती किये जाने हेतु स्टेट लेवेल तथा डिस्ट्रिक्ट लेवेल कॉडर्स बनाये जाने और इनमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा अन्य शर्तों को जारी करने के सम्बन्ध में सामान्य सेवा नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव वर्ष १९८९ से शासन के विचाराधीन था और इसके लिए कतिपय अन्य प्रदेशों में विद्यमान व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया ।

२. (✓) चूंकि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत एवं भविष्य में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के वेतनादि पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और चूंकि इनके बारे में कोई सेवा नियमावली गठन किया जाना सम्भव नहीं हो सका है, अतः प्रदेश के समस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत अभिकरणों में कार्मिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, स्रोत, शैक्षिक योग्यता आदि के निर्धारण तथा सेवा शर्तों को लागू किये जाने के बारे में एक सामान्य दिशा–निर्देश शासन स्तर से समस्त अभिकरणों के लिए जारी कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित अभिकरण अपनी–अपनी अधिकारिता में तदनुसार नियम अथवा उपनियम बनाकर उसे अंगीकृत कर सकें । तद्नुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के लिए शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न पदों के पदधारकों की नियुक्ति, ज्येष्ठता, वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों के बारे में प्रमुख मार्ग–निर्देश निम्नवत अंकित किये जाते हैं :—

(१) जिला ग्राम्य विकास विकास अभिकरणों में समूह "क" "ख" "ग" तथा "घ" के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्त प्राधिकारी का विवरण, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा भर्ती के स्रोतो का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है जिसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि परियोजना निदेशक के अलावा जिन पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की जानी है, उन पदों

पर समरूप वेतनमान के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आने के लिए यदि उपलब्ध नहीं होंगे तो निम्न वेतन-मान के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के लिए अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(२) प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों के चयन के लिए एक चयन समिति का गठन होगा जिसमें निम्नांकित होंगे :—

(१) आयुक्त, ग्राम्य विकास।

(२) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा नामित अपर विभागाध्यक्ष जहाँ से कार्मिक को अभिकरण में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना प्रस्तावित हो।

(३) अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जो आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा नामित हो।

(३) पदोन्नति द्वारा चयन के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास व अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जैसी भी स्थिति हो, अपने स्तर से तीन तीन अधिकारियों की समिति गठित करेंगे।

(४) सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण व परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जैसी भी स्थिति हो, पाँच अधिकारियों की एक समिति अपने स्तर से गठित करेंगे जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का, एक सदस्य पिछड़े वर्ग का तथा एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय का होगा।

(५) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चूँकि अस्थाई संस्था है और इसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, अतः इन अभिकरणों में मौलिक रूप से नियुक्त या भविष्य में नियुक्त होने वाले कार्मिक पूर्णरूप से अस्थाई होंगे और उनकी सेवायें किसी भी समय या तो तीन माह का नोटिस देकर या उसके बदले वेतन का भुगतान कर बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेंगी। सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अभिकरण के कर्मचारी स्थायी पदों की उपलब्धता होने पर स्थाईकरण के पात्र होंगे।

(६) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की ज्येष्ठता का निर्धारण समय-समय पर यथासंशोधित उ० प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, १९९१ के अनुसार किया जायेगा।

(७) विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। इस मार्गनिर्देश के प्रारम्भ होने के समय के वेतन-मान परिशिष्ट "क" में दिये गये हैं।

(८) दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, तब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(९) अन्य विषयों का विनियमन—उन विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस मार्ग-निर्देशन या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, और विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जो राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवक पर सामान्यतया लागू होते हैं।

(१०) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण से सम्बन्धित भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार आरक्षण किया जायेगा।

(११) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वह

वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों/उपनियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं का उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्ति या शिथिल कर सकती है।

(१२) उत्तरांचल के सभी ८ जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती के समस्त पदों को उत्तरांचल क्षेत्र के अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जायेगा और इस प्रयोजन हेतु उन पदों के पदधारकों का अपने-अपने सम्वर्ग में पृथक उपसम्वर्ग होगा परन्तु इसका प्रभाव अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए प्राविधानित आरक्षण पर नहीं पड़ेगा।

(१३) जिन पदों के सम्बन्ध में नियुक्ति का प्राधिकार श्री राज्यपाल या आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग में निहित है, उन पदों के पदधारकों को उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

३. इन मार्ग-निर्देशों में शासन के परामर्श से ही संशोधन किया जा सकेगा।

४. आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद से संबंधित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा इन मार्ग-निर्देशों के अविलम्ब अंगीकृत करते हुए इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही तद्नुसार करने का कष्ट करें।

संलग्नक:—परिशिष्ट "क"—जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में स्वीकृत पद के विपरीत नियुक्ति प्राधिकारी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता व भर्ती के स्रोतों का निर्धारण।

भवदीय,

§ के०आर० भाटी §
सचिव।

संख्या : २३५० (१)/३८-१-९४, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

१. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
२. सचिव, पंचायतराज/कृषि विभाग/सहकारिता विभाग/अर्थ एवं संख्या विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण एवं लघु सिंचाई विभाग।
३. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
४. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश।
५. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
६. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
७. समस्त जिला सैंवायोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
८. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
९. ग्राम्य विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
१०. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

§ के०आर० भाटी §
सचिव।

परिशिष्ट "क"

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में स्वीकृत पद, नियुक्ति प्राधिकारी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता व भर्ती के स्रोत... । निर्धारण ।

पदनाम तथा वर्तमान वेतनमान	पदो की संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	भर्ती का स्रोत
१. परियोजना निदेशक रु० ३०००-४५००	६३	राज्यपाल	—	पी.सी.एस. अधिकारियों तथा जिला विकास अधिकारियों में से प्रतिनियुक्त द्वारा ।
२. सहायक परियोजना अधिकारी — — — — — अपर परियोजना निदेशक रु० २२००-४०००	१७५	राज्यपाल	—	कृषि उत्पादन आयुक्त संगठन के विभागो [ग्राम्य विकास विभाग को प्राथमिकता देते हुए] और नियोजन विभाग के समकक्ष वेतनमान के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
३. सहायक अभियन्ता रु० २२००-४०००	६३	राज्यपाल	—	राज्य सरकार के अभियंत्रण विभागों, विशेष रूप से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग/भूगर्भ जल विभाग के सहायक अभियंताओं में से प्रतिनियुक्ति द्वारा या इन विभागों के ऐसे अवर अभियंताओं मे से प्रतिनियुक्ति द्वारा जिन्हें अवर अभियन्ता के रूप में कार्य करते हुए कम से कम १६ वर्ष हो चुके हैं ।
४. परियोजना अर्थशास्त्री रु० २२००-४०००	६३	राज्यपाल	—	नियोजन विभाग के अर्थ एवं सख्याधिकारियो, अपर अर्थ एव सख्याधिकारियो एव सहायक अर्थ एवं सख्याधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ कि सहायक अर्थ एव सख्याधिकारी के लिए इस रूप में कम से कम १५ वर्ष की निरन्तर सेवा का होना अनिवार्य होगा ।

१	२	३	४	५
५. सहायक संख्या अधिकारी/सांख्यिकीय अन्वेषक रु० १४००-२६००	१७२	आयुक्त, ग्राम्य विकास	—	सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा परन्तु पर्याप्त संख्या में सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी नहीं मिलने की दशा में ऐसे अर्थ एवं संख्या निरीक्षकों/ सहायक विकास अधिकारियों [सा०] में से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर जिन्होंने इस रूप में कम से कम ७ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा।
६. अवर अभियन्ता/ प्राविधिक अन्वेषक रु० १४००-२३०० रु० १४००-२६००	१२६	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सिविल–इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा	१. ५० प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा– विभागीय चयन समिति के माध्यम से। २. ५० प्रतिशत पदोन्नति द्वारा– ड्राफ्टमैन में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से।
७. ड्राफ्ट्समैन रु० १२००-२०४०	६३	अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	आई. टी. आई. से सिविल में डिप्लोमा	विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
८. लेखाकार १४००-२६००	११६	आयुक्त, ग्राम्य विकास	—	सहायक लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर।
९. सहायक लेखाकार रु० १२००-२०४०	१६७	आयुक्त, ग्राम्य विकास	—	विभागीय चयन समिति के माध्यम से कनिष्ठ लेखा लिपिकों में से, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

–३/–

१	२	३	४	५	६
१०. कनिष्ठ लेखा लिपिक रु० ६५०-१५००	३१८	अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	बी० काम	विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	
११. प्रधान लिपिक- रु० १२००-२०४०	६३	आयुक्त ग्राम्य विकास	—	कनिष्ठ लिपिक-सह-टंककों में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।	
१२. कनिष्ठक लिपिक-सह-टंकक रु० ६५०-१५००	३१९	अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण में कम से कम २५ शब्द प्रतिमिनट की योग्यता।	१. ८५ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम से। २. १५ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से।	
१३. आशुलिपिक रु० १२००-२०४०	६३	अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	इण्टरमीडिएट-हिन्दी शार्टहैण्ड सहित, अंग्रेजी शार्टहैण्ड जानने वालों को वरीयता।	विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	
१४. वाहन चालक रु० ६५०-१५००	१२३	अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	हल्के तथा भारी मोटर वाहनों को चलाने के लिए सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेन्स सहित बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा-८ परीक्षा उत्तीर्ण।	विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	
१५ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	२७२	परियोजना निदेशक	बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा-८ परीक्षा	विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	

१	२	३	४	५
५. सहायक संख्या अधिकारी/सांख्यिकीय अन्वेषक रु० १४००-२६००	१७२	आयुक्त, ग्राम्य विकास	—	सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा परन्तु पर्याप्त संख्या में सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी नहीं मिलने की दशा में ऐसे अर्थ एवं संख्या निरीक्षकों/ सहायक विकास अधिकारियों [सा०] में से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर जिन्होंने इस रूप में कम से कम ७ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा।
६. अवर अभियन्ता/ प्राविधिक अन्वेषक रु० १४००-२३०० रु० १४००-२६००	१२६	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सिविल–इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा	१. ५० प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा– विभागीय चयन समिति के माध्यम से। २. ५० प्रतिशत पदोन्नति द्वारा– ड्राफ्टमैन में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से।
७. ड्राफ्ट्समैन रु० १२००-२०४०	६३	अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	आई. टी. आई. से सिविल में डिप्लोमा	विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
८. लेखाकार १४००-२६००	११६	आयुक्त, ग्राम्य विकास	—	सहायक लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर।
९. सहायक लेखाकार रु० १२००-२०४०	१६७	आयुक्त, ग्राम्य विकास	—	विभागीय चयन समिति के माध्यम से कनिष्ठ लेखा लिपिकों में से, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।